न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2020-00055RAAJodhpur2020-024RTA225 Hardinram Vs Shaitanram etc

हरदीनराम पुत्र श्री खूमाराम जाति जाट, निवासी- दाड़मी तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. शैतानराम पुत्र श्री भोजाराम,
2. नेनी पत्नी भोजाराम,
3. सरजुदेवी पुत्री श्री भोजाराम,
4. सुमित्र पुत्री श्री मोहनराम,
5. बीदामी पत्नी श्री मोहनराम
6. हरिराम पुत्र श्री नाथुराम सभी जातियान् जाट, निवासीगण- दाड़मी, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, भोपालगढ।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 24 जनवरी 2020 उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्या 03/2017 शैतानराम बनाम हरदीनराम

उपस्थित-

श्री बाबुलाल चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से छः

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या सात

नि र्ण य

दिनांक : 29 जूलाई 2021

अपीलाण्ड्स ने उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 03/2017 शैतानराम बनाम हरदीनराम में पारित आदेश दिनांक 24 जनवरी 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 20 फरवरी 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के समक्ष एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम दाड़मी की सरहद में स्थित खसरा नं. 151 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि है, जिसमें आने जाने के लिए अप्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा नं. 150 में सें है। इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता ही निकटतम है। आगे यह भी कहा है कि दिनांक 17.07.2017 को अपने खेत में उक्त रास्ते जा रहे थे तो उक्त रास्ते से जाने से मना कर दी एवं धमकी दी। अंत में 15 फीट चौड़ाई का सार्वजनिक रास्ता घोषित किये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया, जिन्होने अपनी उपस्थिति जरिये अधिवक्ता दर्ज करवाई एवं जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रार्थी के खते में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, जिसका स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि उत्तरदाता के खते में सें उत्तर-दक्षिण दिशाओं को जोड़ता हुआ खेत के मध्य से होता हुआ खसरा नं. 176 की माठ तक जाता है तथा यही रास्ता आगे खसरा नं. 173, 174, 175, 168 व 169 एवं उससे भी आगें खेतों में चल रहा है। खसरा नं. 176 की माठ से होकर खसरा नं. 152 में प्रवेश करता है, जो स्वयं प्रार्थीगण का है एवं वहीं से 151 में आते-जाते है। उक्त रास्ता पीढियों से चलायमान है एवं वर्तमान में भी चालू है। आगे यह भी बताया कि अगर इस प्रकार रास्ते दिये जाते है तो प्रार्थी के खेत में रास्ते ही रास्ते बनेंगे, खेती योग्य जमीन नहीं बचेगी। आगे यह भी कहा गया कि स्वयं प्रार्थी के कथनों के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अनुसार हस्तगत प्रकरण धारा 251 क काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का नहीं होकर धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधी में आता है। प्रार्थी सुखाचार के आधार पर रास्ते की मांग कर रहा है, जिसके लिए राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर आये तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 जनवरी 2020 पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये मनमाने रूप से वैकल्पिक रास्ते के उपलब्ध होते हुए भी आलौच्य आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को मानने में भारी त्रुटि कारित की है, जबकि अपने जवाब में क्षेत्राधिकारिता बाबत स्पष्ट उल्लेख कर रखा था एवं स्वयं तहसीलदार ने अपने जवाब में बताया कि वर्तमान में रास्ता चालू है। जब रास्ता उपलब्ध है तो सुखाचार के आधार पर रास्ते की मांग एवं उसको अवरोधित करने पर अधीनस्थ न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं रह जाता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट के बाबत की गई आपत्तियों को नजर अंदाज करने में भारी त्रुटि कारित की है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इसी रास्ते से संबंधित अन्य प्रकरण, जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा स्थगन आदेश पारित कर रखा है, के बावजूद भी आदेश पारित करने में भारी त्रुटि कारित की है। अपील संख्या 87/2018 हरदीनराम बनाम चूनाराम व अन्य की आदेशिका दिनांक 07.06.2018 पत्रावली पर उपलब्ध थी, उस पर भी गौर नहीं कर पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाते हुए आदेश पारित कर दिया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की पालना किये बिना आदेश पारित किया है जो काबिले

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निरस्त है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 जनवरी 2020 को खारिज फरमाया जावें।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से छः ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट्स के पास अपीलाधीन रास्ते के अलावा आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर लघुतम एवं वैकल्पिक रास्ते का आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायिक दृष्टि से विधिसम्मत है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया, जिससे पाया जाता है कि--

01. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत रास्ते में **रास्ते की चौड़ाई को स्पष्ट ही नही किया** तथा न ही यह स्पष्ट किया कि अपीलाधीन रास्ते मे खसरा नं. 150 की भूमि का कितना रकबा जायेगा। केवल रास्ते की लंबाई 376 फीट तय की गई।

02. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत रास्ते के संबंध में डी. एल. सी. दर का उल्लेख नहीं किया गया न ही प्रतिकर राशि का विनिश्चय ही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का द्वारा तैयार एवं नायब

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तहसीलदार भोपालगढ द्वारा प्रमाणित मौका रिपोर्ट, जिसमें किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है, पक्षकारान् की अनुपस्थिति में तैयार मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो विधिसम्मत नहीं है।

इन परिस्थितियों में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलाण्ट्स आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 जनवरी 2020 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उपरोक्त विवेचन और ऑब्जर्वेशन के आधार पर उभय पक्ष की समुचित साक्ष्य सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दि: 29/7/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर